संख्या- 7/2020/456/44-1-2020-99/2008

प्रेषक,

आलोक कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रदेश के समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के
प्रशासनिक विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

सार्वजनिक उद्यम अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांकः 14 जुलाई, 2020

विषयः- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को देय वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-828/44-1-2015-99/2008 दिनांक 6 नवम्बर, 2015 द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में नियुक्त विकलांग एवं नेत्रहीन कर्मचारियों को देय वाहन भत्ता अनुमन्य कराया जा रहा है। दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-1 द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमन्य वाहन भत्ते से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-101/1326/65-1-2014-380/96, दिनांक 13 नवम्बर, 2014 में उल्लिखित दरों को, वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 द्वारा शासनादेश संख्या-06/2019/जी-2-531/दस-2019, दिनांक 22 अगस्त, 2019 करते हुए निर्गत कर दिया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (सामान्य) अनुभाग-2 के उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 22 अगस्त, 2019 द्वारा दिव्यांगजन कार्मिकों को अनुमन्य वाहन भत्ते की पुनरीक्षित दरों का लाभ तात्कालिक प्रभाव से ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के दिव्यांगजन/नेत्रहीन कार्मिकों को भी अनुमन्य होगा, जहाँ वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार दिनांक 01 जनवरी, 2016 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना अनुमन्य हो चुका है।

3- सार्वजनिक उपक्रम/निगम उक्त व्यय भार को अपने संसाधनों से वहन करेंगे।

4- उक्त के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में निर्धारित शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या- 7/2020/456(1)/44-1-2020-99/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) द्वितीय उ0प्र0, लखनऊ।

2- सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों से सम्बन्धित शासन के प्रशासनिक विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव।

3- महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ

4- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(सुनील कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in